जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना रेहड दिनांक 05.09.2025

थाना रेहड पुलिस ने अभियुक्त को प्रतिबन्धित कैप्सूल के 74 डिब्बो सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण-

थाना रेहड पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त इबरान पुत्र रहमतुल्ला निवासी ग्राम महुआ डावरा नादेई थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को बिना वैध प्रपत्र के प्रतिबन्धित कैप्सूल के 74 डिब्बे (कुल कैप्सूल 1760 एवं कुल वजन 9.768 कि0ग्रा0) तथा एक स्विफ्ट कार रजि0 नं0 यू0पी014बी0वी0-3527 सहित किया गिरफ्तार। बरामदगी के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 66/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इबरान पुत्र रहमतुल्ला निवासी ग्राम महुआ डावरा नादेई थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण-

प्रतिबन्धित कैप्सूल के 74 डिब्बे (कुल कैप्सूल 1760 एवं कुल वजन 9.768 कि0ग्रा0)

एक स्विफ्ट कार रजि0 नं0 यू0पी014बी0वी0-3527

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री भीम सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी पुरुषोत्तम थाना रेहड जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी ललित कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना बढापुर **दिनाँक 05.09.2025**

थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्च अभियान में ग्राम मदपुरी के जंगल से शराब बनाने के उपकरण तथा मौके पर 500 लीटर लहन को नष्ट किया गया।

कार्यवाही :-

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय़ द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की तस्करी रोकने एवं अवैध जहरीली शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्च अभियान में थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मदपुरी के जंगल में अवैध कच्ची शराब की दो बंद पडी भट्टी मौके पर नष्ट की गई तथा बरामद कुल 500 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम :-

1.प्र0नि0 श्री मृदुल कुमार सिंह,थाना-बढापुर (बिजनौर)
2.आबकारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार सोती, आबकारी पुलिस क्षेत्र-5 नगीना
3.उ0नि0 श्री विकास कुमार, थाना-बढापुर (बिजनौर)
4. उ0नि0 श्री विनोद कुमार, थाना-बढापुर (बिजनौर)
5.आरक्षी 1107 सुधीर कुमार, थाना-बढापुर (बिजनौर)
6. आरक्षी 2525 रविन्द्र कुमार, थाना-बढापुर (बिजनौर)
7 आरक्षी 1922 श्य़ाम कुमार, थाना-बढापुर (बिजनौर)
8. मुख्य आरक्षी योगेश कुमार, आबकारी पुलिस क्षेत्र-5 नगीना
9. आरक्षी विपिल कुमार, आबकारी पुलिस क्षेत्र-5 नगीना
10. महिला आरक्षी 2613 अंजू थाना-बढापुर (बिजनौर)

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – यातायात पुलिस　　　　दिनांक – 05.09.2025

यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय/राज्य मार्ग पर ई-रिक्शा संचालित 03 ई-रिक्शाओं को सीज तथा 10 ई-रिक्शाओं के चालान किए जाने के संबंध में।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.09.2025 को पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा बिजनौर-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई-रिक्शा संचालन के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान 03 ई-रिक्शाओं को सीज किया गया तथा 10 ई-रिक्शाओं के चालान किए गए। साथ ही सभी ई-रिक्शा चालकों को चेतावनी दी गई कि यदि जनपद के किसी भी राष्ट्रीय/राज्य मार्ग पर ई-रिक्शा संचालित पाया गया तो उसके विरुद्ध चालानी व सीज की कार्यवाही की जाएगी।

यातायात पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ई-रिक्शा का संचालन केवल शहर एवं कस्बों की सड़कों पर ही किया जाए। साथ ही सभी ई-रिक्शा चालक एवं यूनियन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बिना सत्यापन एवं रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा सड़क पर न चलें।

यातायात पुलिस जनपद बिजनौर आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा सड़क सुरक्षा में सहयोग प्रदान करें।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 05.09.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 248/25 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.08.2025 को वादी श्री करन सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह ग्राम छोईया नंगली थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.05.2025 को वादी की पत्नी श्रीमति रूकमेश का एस0आर0 हैल्थकेयर सेंटर नूरपुर में लडका पैदा हुआ था। डॉक्टर वादी के पुत्र को इलाज के बहाने अपने साथ ले गये थे और उसके बाद वादी को उसके नवजात पुत्र से नही मिलवाया और दिनांक 28.05.2025 को अस्पताल से छूट्टी कर दी। अस्पताल के कर्मचारी सलमान ने वादी से कुछ कागजो पर अंगुठे लगवा लिये थे, वादी को शक है कि वादी का बच्चा बेचा जा सकता है। अभियुक्तगण 1.डा0 जावेद पुत्र नामालूम 2.डा0 रीना चौधरी पुत्री नामालूम 3.डा0 महार सिंह पुत्र नामालूम 4.सलमान पुत्र नामालूम 5. नर्स वंदना निवासीगण हाल पता एसआर हेल्थ केयर सेन्टर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पत्नी रूकमेश व वादी को किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 284/2025 धारा 137(1)(बी)/61(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)/3(5) बीएनएस एवं धारा 75/80/81 किशोर न्याय अधिनियम की वृद्धि की गयी है।

दिनांक 24.08.2025 उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1-सलमान पुत्र उस्मान निवासी मौ0 हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 2-रवि अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र सिंह व 3-प्रियता पत्नी रवि अग्रवाल निवासीगण जीएमसीटी कॉलोनी कर्मचारी नगर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही–

आज दिनांक 05.09.2025 को थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त गोपाल पुत्र दीनदयाल निवासी सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः–

1.गोपाल पुत्र दीनदयाल निवासी सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 म0उ0नि0 वर्षा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 2027 विपुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात **दिनांक 05.09.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 203/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी किये 02 बैटरो सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.09.2025 को वादी अन्सार पुत्र मुख्तार अहमद निवासी ग्राम जोगीरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र अख्तर निवासी ग्राम जोगीम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के द्वारा 02 बैटरे चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 05.09.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र अख्तर निवासी ग्राम जोगीम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 02 बैटरो सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सद्दाम पुत्र अख्तर निवासी ग्राम जोगीम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 303/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 264/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री हिमांशु थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2.है0का0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3.का0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 05.09.2025**

थाना नगीना पर एमवी एक्ट/अभियोगो से सम्बन्धित 33 वाहनों की नीलामी कुल 1,10,000/-रुपये में किये जाने के संबंध में।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.09.2025 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी नगीना व क्षेत्राधिकारी, नगीना की मौजूदगी में थाना नगीना पर खडे एमवीएक्ट/अभियोगो से सम्बन्धित (29 मोटरसाईकिल व 04 कार) कुल 33 वाहनो की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की गई। जिसमे कुल 33 वाहनों का अनुमानित मूल्य 92,900/- रुपये था। जिसमे उक्त वाहनो की सर्वोच्च बोली अवनीश कुमार पुत्र पीताम्बर सिंह निवासी ग्राम मौज्जमपुर जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा 1,10,000/- रूपये में लगाई गई। उक्त 33 वाहनो को अवनीश कुमार उपरोक्त के हक में कुल 1,10,000/- रुपये में नीलामी की गई।

गठित टीम का विवरण –

1. श्री नितिन कुमार उपजिलाधिकारी महोदय तहसील नगीना जनपद बिजनौर।
2. श्री अन्जनी कुमार चतुर्वेदी क्षेत्राधिकारी महोदय नगीना जनपद बिजनौर।
3. श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह आर0आई0 प्रवतन जनपद बिजनौर।
4. श्री संजय कुमार थानाध्यक्ष नगीना जनपद बिजनौर।
5. वरि0उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
6. एचएम 84 सुधीर सिंह जादौन थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर　　　　**दिनॉक 05.09.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 120/25 धारा 137(2)/87/70(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2)/5जी/6 व 5जे(2)/5क(1) पोक्सो अधि0 से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 31.03.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री व उसकी सहेली को बहला फुसलाकर ले जाया गया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 120/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित दोनों अपहृताओं को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व पीडिताओं के बयानों के आधार पर अभियोग में अभियुक्तगण 1.अभिषेक पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी ग्राम लुहारपुरा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 2.राज पुत्र पुनी साव 3.विकास कुमार पुत्र नागेश्वर मेहता निवासीगण चुरचू थाना कुर्रा जनपद हजारी बाग प्रांत (झारखण्ड) के नाम प्रकाश में आये तथा अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त द्वारा अपने साथियों राज व विकास के साथ मिलकर पीडिताओं के साथ गलत काम करना प्रकाश में आया। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 87/70(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2)/5जी/6 व 5जे(2)/5क(1) पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 05.09.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अभिषेक पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी ग्राम लुहारपुरा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– अभिषेक पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी ग्राम लुहारपुरा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 देवीप्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4.महिला हे0का0 743 विनिता तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।